भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3371
उत्तर देने की तारीखः 09.12.2019

पदोन्नति में आरक्षण

3371. श्रीमतीसंगीता आजादः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्चतम न्यायालय के 26 सितम्बर, 2018 और 10 मई, 2019 के आदेश में आरक्षण को जायज घोषित करने के बावजूद शिक्षा विभाग के विशेषकर आजमगढ़ के प्राथमिक शिक्षा में 27 अगस्त, 2018 को 1054 शिक्षकों को पदावनत कर दिया गया;

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे दिशानिर्देश सरकार द्वारा कब तक जारी किए जा सकते हैं ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर पदावनति न हो; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की अनुवर्ती सूची में है और राज्यों द्वारा नियुक्त अध्यापकों की भर्ती पदोन्नति एवं सेवा शर्तें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।